

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 31/10/2018 ई०।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का०.....8064...../झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राम सुरेश शर्मा, प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-31) (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय प्रधान आप्त सचिव (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 7600, पुनरीक्षित Level-12) कोटि में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का०.....8065...../झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक- 33) (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय प्रधान आप्त सचिव (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 7600, पुनरीक्षित Level-12) कोटि में प्रोन्नति दी जाती है।

प्रोन्नति के उपरांत नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव श्री अनिल कुमार सिंह, को कार्यहित में अगले आदेश तक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची में उनके द्वारा धारित प्रधान आप्त सचिव के पद को उनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापित किया जाता है।


संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का०.....8066...../झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अरुण कुमार सिन्हा, प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-37) (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय प्रधान आप्त सचिव (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 7600, पुनरीक्षित Level-12) कोटि में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का०.....8067...../झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सर्वेश कुमार, प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक- 47) (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11), भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय प्रधान आप्त सचिव (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 7600, पुनरीक्षित Level-12) कोटि में प्रोन्नति दी जाती है।

2. संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।


3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(संजय कुमार दूबे)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 12/प्रो0-09-04/2015 का0.....8067/ राँची, दिनांक-31/10/2018 ई0।
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 12/प्रो0-09-04/2015 का0.....8067/ राँची, दिनांक-31/10/2018 ई0।
प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची/ सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड,
राँची/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा तथा
सभी संबंधित नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।